मेरठ विकास प्राधिकरण

की

92वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 29—07—2010

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 92वीं बैठक दिनांक 29–07–2010 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 92वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के कैम्प कार्यालय में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 03–06–2010 को अपरान्ह 3.00 बजें से प्रारम्भ होकर 4.30 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री जे0सी0 आदर्श,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री आई0एस0के0सिंह	उप नगर अधिकारी, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री हरनाम सिंह,	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
5.	श्री वसी मौहम्मद	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
6.	श्री विनोद कुमार	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य
7.	श्री ए0के0 त्यागी	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0, गाजियाबाद।	सदस्य
8.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
9.	श्री किशन सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य

10. श्री यू0के0तायल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
11. श्री आर0के0गुप्ता,	अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि–अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
12. श्री अनुराग पटेल	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

<u>प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–06–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि–</u>

प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–06–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–</u>

मद संख्या– 3

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर श्रद्धापुरी फेस–2 आवासीय योजना एवं डिफेन्स एन्कलेव योजना को नगर निगम को हस्तान्तरित की जाय।

<u>प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–</u>

मद संख्या –2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि कांवड मेले के बाद 19 बारातघरों के विरूद्ध सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय तथा कार्यवाही से पृथक् किये गये 11 बारातघरों का प्रत्येक पर समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रत्येक बारातघर के सम्बन्ध में पृथक–पृथक आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाय।

<u>प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–</u>

मद संख्या –8

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि कांवड मेले के बाद सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किये जाय तथा उक्त अवैध निर्माणों के निर्माण के समय तैनात अभियन्ताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –7

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि योजनावार सुनवाई करके अपनी भूमि के समायोजन के इच्छुक कृषकों से सहमति प्राप्त करके उनकी भूमि के समायोजन तथा समायोजन हेतु अनिच्छुक कृषकों की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 1

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद संख्या– 2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि दिनांक 21–7–2010 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय से शासन को कार्यवृत्त की प्रति भेजते हुए अवगत करा दिया जाये।

मद संख्या– 5

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद संख्या– 6

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद संख्या– 7

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपूरक मद संख्या – 1

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद संख्या–1

मेरठ महायोजना 2021 के वेदव्यास पुरी सैक्टर–4ए के सामने 60 मीटर चौड़े मास्टर रोड की दूसरी ओर तथा बागपत रोड, रेलवे लाइन एवं मेरठ रूड़की बाईपास मध्य स्थित भूमि की सड़कों एवं सेवाओं से सम्बन्धित सरकुलर प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रतिनिधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का अगली सुनवाई के समय संज्ञान लेते हुए नियमानुसार निस्तारण किया जाय।

मद संख्या– 2

मेरठ सीवरेज योजना पार्ट–1 फेज–1 के अर्न्तगत प्रस्तावित एस0 टी0 पी0 ग्राम–कमालपुर के खसरा नंम्बर 83 से 95 क्षेत्रफल 10.441 हेक्टर भूमि का पार्क एवॅ खुले स्थल भू–उपयोग से सीवरेज ट्रीटमेन्ट भू–उपयोग में परिवर्तन।

माननीय बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से मेरठ महायोजना 2021 में पार्क एवं खुले स्थान हेतु प्राविधानित 15 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल न हो यदि 15 प्रतिशत से क्षेत्रफल कम होता है तो उतने क्षेत्रफल का प्राविधान योजना में अन्यत्र किया जाय।

मद संख्या– 3

प्राधिकरण की मेजर ध्यानचन्द योजना दिल्ली रोड़ के तलपट मानचित्र में दर्शित लोड़िग–अनलोड़िग के भू–उपयोग के स्थान पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि वर्तमान स्थल पर प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान का भू–उपयोग महायोजना 2021 में ''वन'' न हो।

मद संख्या– 4

ग्रीन वर्ज भू–उपयोग में श्री विनय कुमार द्वारा प्रस्तावित रेस्टोरेण्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 5

रक्षापुरम आवासीय योजना में निर्मित दुकानों का मूल्य फ्रीज करने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि भूमि का वर्तमान व्यवसायिक दर से मूल्य तथा दुकान की वास्तविक निर्माण लागत को जोड़ते हुए जो कीमत आये उसे आरक्षित मूल्य मानकर निविदा–सह–नीलामी की प्रक्रिया से दुकानों की नीलामी की जाये।

मद सं0 6

वित्तीय वर्ष 2010–11 के विज्ञापन व्यय को पुनरीक्षित कराने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

30/7

(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

30.7.2010

(जे0सी0आदर्श)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(श्रवण कुमार शर्मा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

श्रवण कुमार शर्मा
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।